राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 06.06.2018 परिवाद संख्या 2017/07/520

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

परिवाद में अधिवक्ता सुश्री नारायणी बगडिया द्वारा दिनांक दिनांक 22.05.2018 को उपस्थित होकर प्रकरण में सुनवाई हेतु निवेदन किये जाने पर पत्रावली तलब की गई जिस पर आज आदेश पारित किया जाता है।

इस प्रकरण में, अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरणों में, विवाहित व अविवाहित पुत्री के अधिकारों में भिन्नता का बिन्दु विचारणीय है। इस बिन्दु के साथ, पुत्र अगर विवाहित हो अथवा अविवाहित हो, दोनों सूरत में राज्य में प्रभावी अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु उचित पात्र हैं। परन्तु विवाहित व अविवाहित पुत्री के लाभ में अन्तर रखा गया है। विवाहित पुत्री अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। अविवाहित पुत्री अनुकम्पात्मक नियुक्ति के पश्चात अगर शादी कर लेती है तो उसकी नौकरी नहीं छीनी जा सकती है। विधवा पुत्री भी अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए योग्य पात्र है। विधवा पुत्री अगर अनुकम्पात्मक नियुक्ति के पश्चात पुनर्विवाह कर लेती है तब भी उसकी

नौकरी नहीं छिन सकती है। अविवाहित दत्तक पुत्री इन नियमों के अन्तर्गत योग्य पात्र है, परन्तु विवाहित दत्तक पुत्री योग्य पात्र नहीं है।

इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि, एक सरकारी कर्मचारी के कोई पुत्र नहीं हो और उसकी एक या अधिक पुत्रियां हो, और सभी विवाहित हो, तब ऐसी सूरत में ऐसे प्रावधानों के कारण विवाहित पुत्री/विवाहित दत्तक पुत्री ही नहीं, बल्कि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी भी (जब नियम, 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं रखती है) नियम, 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति के तमाम लाभ से वंचित हो जाती है।

इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-

सरकारी कर्मचारी श्री हीरालाल एक पिछडी जाति के सदस्य थे जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भीलवाडा के अधीन सहायक अभियन्ता कार्यालय, माण्डल, जिला भीलवाडा में हैल्पर के पर कार्यरत थे। उक्त श्री हीरालाल गुर्जर का दिनांक 25 सितम्बर, 2016 स्वर्गवास हुआ। श्री हीरालाल गुर्जर की पत्नी श्रीमती बाली देवी की जन्म तिथि 01 जनवरी, 1953 है। अतः श्री हीरालाल गुर्जर के देहावसान के समय श्री हीरालाल गुर्जर की पत्नी श्रीमती बाली देवी की आयु लगभग 63 वर्ष हो चुकी थी। स्वाभाविक रूप से श्री हीरालाल गुर्जर की पत्नी अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए योग्य पात्र नहीं थी। श्री हीरालाल गुर्जर के कोई पुत्र नहीं था, परन्तु चार पुत्रियां हैं। श्री हीरालाल की मृत्यु के समय चारों पुत्रियां

श्रीमती रामू, श्रीमती मेमा उर्फ महिमा, श्रीमती घन्टी उर्फ गणी व श्रीमती सुखी विवाहित थी। दिवंगत कर्मचारी का कोई भी आश्रित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अथवा किसी बोर्ड, निगम या संगठन में सेवारत नहीं था/थी। दिवंगत कर्मचारी की पत्नी श्रीमती बाली देवी व दिवंगत कर्मचारी की पुत्रियों द्वारा दिवंगत कर्मचारी की पुत्री श्रीमती मेमा उर्फ महिमा गुर्जर को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने के लिए 02 माह की अवधि में ही प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजात् के विभाग में पेश कर दिया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भीलवाडा वृत के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 से सहायक अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, माण्डल व श्रीमती बाली देवी को सूचित किया गया कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत विवाहित पुत्री श्रीमती मेमा उर्फ महिमा गुर्जर को उसके विवाहित होने के कारण से अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

इस परिवाद में अधिवक्ता सुश्री नारायणी देवी बगडिया द्वारा इस भेदभाव पर गम्भीर आपत्ति जताई गई तथा माननीया अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के श्रीमती गीता कंवर बनाम राज्य सरकार व अन्य, 2015 (2) WLC(RAJ.) 483 (JAIPUR BENCH) के निर्णय तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय, श्रीमती विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, रिट याचिका संख्या 60881/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 पर भरोसा करते हुए उनकी एक–एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय में न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चन्द्रचूड, तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (वर्तमान में न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय) द्वारा श्री विमला श्रीवास्तव के निर्णय में विवाहित पुत्रियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम में विवाहित पुत्रियों को लाभ से वंचित करने के विषय पर विस्तार से विचार कर यह घोषित किया गया है कि उक्त राज्य के नियमों में अविवाहित ("UNMARRIED") शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 एवं 15 के विरूद्ध होने से असंवैधानिक व गैर कानूनी है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, अतः अनुकम्पात्मक नियुक्ति के विषय में विवाहित व अविवाहित सरकारी कर्मियों की पुत्रियों में भेदभाव को समाप्त किया गया।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी लडकी की शादी हो जाने मात्र से पिता–पुत्री का रिश्ता समाप्त नहीं होता है तथा यह विपरीत धारणा भारतीय संविधान का उल्लंघन करती है।

आयोग यहां यह उल्लेखित करना उचित समझता है कि न सिर्फ हिन्दू विधि में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के अधिकारों में बढोतरी की गई है, बल्कि महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार में भी बढोतरी की गई है, महिलाओं को समान उत्तराधिकारी (coparcener) में भी सम्मिलित किया गया है तथा तीन तलाक के प्रावधान को भी असंवैधानिक घोषित

किया गया है। अतः इस आधार पर भी बदली हुई परिस्थितियों में विवाहित पुत्री व विवाहित दत्तक पुत्री को अनुकम्पात्मक नियुक्ति से वंचित करने सम्बन्धी नियम को बिना संविधान सम्मत व बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया नियम कहा जा सकता है।

उपर्युक्त विधिक स्थिति के अलावा स्वयं इस प्रकरण के तथ्य अपने आप में उचित कारण हैं जिनके आधार पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लाभ से विवाहित पुत्री व विवाहित दत्तक पुत्री को वंचित करना किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

ऐसे नियमों में राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसकी जागरूकता व परिणाम स्वरूप कई दम्पति एक या दो से अधिक संतान को जन्म नहीं देते हैं। ऐसे में एकमात्र पुत्री अथवा एक से अधिक पुत्रियों के पश्चात अपनी वृद्धावस्था में स्वयं की आर्थिक सुदृढता के लिए एक पुत्र की चाह और बढाने के उद्देश्य से राष्ट्र अहित भी हो सकता है।

अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय श्रीमती विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में दिये गये कारणों से तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के निर्णय श्रीमती गीता कंवर बनाम राज्य सरकार व अन्य, 2015 (2) WLC (RAJ.) 483 की मंशा को ध्यान में रखते हुए आयोग अनुशंषा करता है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 विवाहित पुत्री व विवाहित दत्तक पुत्री को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

के लाभ से वंचित करने के भेदभावपूर्ण नियम में संशोधन किया जाकर अविवाहित होने की शर्त को हटाया जावे।

चूंकि यह राज्य सेवा के सेवा नियम से सम्बन्धित विषय है जिसे विद्युत कम्पनियों पर भी लागू किया हुआ है। अतः इस आदेश की प्रतिलिपि मय राजस्थान व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय तथा इस परिवाद के दस्तावेजों की प्रतिलिपि इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित की जावे।

आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, अध्यक्ष एवं निदेशक, डिस्कॉम्स, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर तथा परिवादिया को प्रेषित की जावे।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण विशेष लाभ के प्रकरण होते हैं जिनमें समय महत्वपूर्ण होता है। अतः शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार आवश्यक रूप से राज्य सरकार का मत शासन सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित व उच्चाधिकारी से हस्ताक्षरित आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रेषित करें।

पत्रावली दिनांक 01 अगस्त, 2018 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष